न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

म्यूटेशन अपील सं० - 239/2022. (GLMS No- 2022/298)

तारीख हुक्म	घासीराम V/S उगमाराम वगै० हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
20/12/22	वकुलाय उप०। वकील अपीलान्ट ने गत आदेशानुसार रेस्पोडेन्ट सं. 2/3, 2/5, 2/6, 2/7 के सम्मन तलबाना पेश नहीं किये है, जो अब शीघ्र पेश करे एवं पेश होने पर तलबी जारी होकर पत्रावली दिनांक 11.1.23 को पेश हो। कलक्टर नागौर	
11/1/23	वकुलाय उप०। P.O साहब अवकाश पर है। पत्रावली दिनांक 8/2/23 को पेश हो।	
8/2/23	वकुलाय उप०। P.O साहब प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली दिनांक 1/3/23 को पेश हो।	
1/3/23	वकुलाय ने अपनी मांगो को लेकर आगामी आदेश तक न्यायिक कार्य स्थगित रखा है। दौरान P.O सा. प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 28/3/23 को पेश हो।	
28/3/23	वकुलाय उप०। वकील अपीलान्ट को रेस्पो. सं. 2/3, 2/5, 2/6, 2/7 के सम्मन तलबाना पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। वकील अपीलान्ट द्वारा सम्मन तलबाना पेश होने पर तलबी जारी होकर पत्रावली दिनांक 19.4.23 को पेश हो। कलक्टर नागौर	
11-5-23	पत्रावली पेश हुई। दिनांक 17.04.2023 से राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सामूहिक अवकाश पर होने से प्रकरण में पेशी 10.05.23 एवं तत्श्चात 24.05.2023 नियत की गई। वकुलाय उपस्थित। वकील अपीलान्ट श्री निम्बाराम काला ने प्रार्थना पत्र बाबत पत्रावली आज पेशी पर ली जाकर अपील जरिये विड्रावल खारिज करने हेतु प्रस्तुत किया, जो शा0मि0 किया गया। वकील अपीलान्ट के उक्त प्रार्थना पत्र पर पत्रावली आज पेशी पर ली गई। वकील अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि हस्तगत अपील में पक्षकारान आपस में एक ही परिवार के है। पक्षकारान रेस्पोडेन्टस् ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है जिससे अपीलान्ट अपील कलक्टर, नागौर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख जारी हुए
11-5-23 (लगातार)	को चलाना नहीं चाहते है, का कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का जरिये विड्रावल खारिज करने का निवेदन किया है। अपीलान्ट द्वारा हस्तगत अपील **तहसीलदार मेड़ता द्वारा ग्राम उंचारड़ा कलां के नामान्तकरण संख्या – 267 स्वीकृत दिनांक 24.05.2022 के** विरूद्ध प्रस्तुत की है। वकील अपीलान्ट के कथनानुसार हस्तगत अपील में पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो चुका है एवं वह अपील को चलाना नहीं चाहते है एवं हस्तगत अपील को जरिये विड्रावल खारिज करने का निवेदन किया है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अपील अपीलान्ट जरिये विड्रावल खारिज की जाती है। आदेश सुनाया गया। तहसीलदार मेड़ता को उनका मूल म्यूटेशन लौटाते हुए आदेश की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (पीयुष समारिया) कलक्टर, नागौर	11-5-23